इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, उनमें से कई अपनी सेवा से निवृत्त हो गए हैं और अपने इलाज के लिए अन्यत्र नहीं जा सकते हैं।

महोदय, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि पत्रकारों और उनके परिवारजनों को सी॰जी॰एच॰एस॰ की सुविधा तत्काल बहाल की जाए, जिसे अधोषित रूप से समाप्त करने की साजिश की जा रही है।

Demand to eclare 'Vishwakarma Diwas' as National Labour Day

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): भारतीय उद्योगों ने स्वतंत्रता के बाद फिर से तेजी से वृद्धि की है। श्रीमकों ने अपने कौशल व मेहनत से भारत को विश्व में तेजी से विकसित हो रहे राष्ट्र की पंक्ति में खड़ा किया है। अपवादों को छोड़कर श्रीमक आंदोलनों का इतिहास हड़तालों के युग से निकलकर काम व दाम दोनों का महत्व दे रहा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव को अधिकारों से ऊपर रखने के प्राचीन आदर्श को राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य स्व श्री दत्तोपंत उंगड़ी आदि ने भारत के बाहर अमरीका, रूस व चीन में भी प्रतिष्य दिलाई थी। इस आदर्श के मूर्तिमान प्रतीक श्री विश्वकर्मा को देश के सभी प्रदेशों के निजी व सार्वजनिक उद्योगों में उत्सव-पूर्वक स्मरण किया जाता है। श्रम की प्रतिष्य के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय विश्वकर्मा पुरस्कार की व्यवस्था है। हर देश का अपना श्रम-दिवस होता है। मेरा सरकार से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि 17 सितम्बर को उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन को राष्ट्रीय श्रम-दिवस घोषित कर देश के श्रीमकों की श्रद्धा को मान्यता दें।

Demand to increase the quantity of APL Wheat supply to Uttarakhand

श्री हरीश रावत (उत्तराखंड): उपसभापित महोदय, उत्तराखंड में पिछले 6 माह से ए॰पी॰एल॰ के कार्ड-धारकों को सस्ते गल्ले की दुकान से नाम-मात्र को भी गेहूं नहीं मिल पा रहा है। बी॰पी॰एल॰ कार्ड-धारकों की निर्धारित मात्रा भी अभाव के कारण कालाबाजारी का शिकार हो रही है। राज्य के बड़े हिस्से में गेहूं बहुत कम पैदा होता है। पिछले दो वर्षों में वर्षा न होने के कारण गेहूं पैदा नहीं हो रहा है। राज्य में गेहूं के अभाव से लोग त्रस्त है। बड़ी कीमत देकर लोगों को खुले बाजार से गेहूं खरीदना पड़ रहा है।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों से राज्य के ए॰पी॰एल॰ कार्ड-धारकों को दी जाने वाली गेहूं की मात्रा लगातार घट रही है। राज्य के प्रति माह लगभग 8000 मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता है, जबकि इसे केवल 1300 मीट्रिक टन गेहूं उपयुक्त श्रेणी के लिए केन्द्रीय पूल से दिया जा रहा है।

अतः मेरा केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय से आग्रह है कि राज्य को ए॰पी॰एल॰ श्रेणी में दिए जाने वाले गेहूं की मात्रा को बढ़ाकर प्रतिमाह कम से कम 8 हजार मीट्रिक टन किया जाए और उसे तत्काल अवमुक्त किया जाए।

Demand to Review the Policy of Ban or Recruitment in Government Offices

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Sir, the Government's decision to extend the blanket ban on recruitment, introduced in 2001 for another three years is extremely deplorable and smacks of Government's unconcern about the unemployment problem in the country. The reduction in the number of posts due to the arbitrary decision has been of the order of 8 lakh during the period between 1.1.2001 to 1.1.2006. The downsizing, not only shut down the job opportunities for the young and educated youth in the country, it has also phenomenally increased the workload of the existing employees. Due to abolition of posts and other downsizing exercises carried out by the Government, the work assigned was increased manifold. To combat the situation, the administration has been resorting to recruitment of daily rated/casual workers. They presently constitute about 25 per cent of the workforce. They are not even given subsistence wages and are being exploited with utter violation of labour laws in the country. There is no move to regularise all these employees. If this is the attitude of the Government which is supposed to protect the law of the land, then the future of this country is very bleak. Hence, I urge upon the Government to withdraw the ban on recruitment and regularise the casual workers immediately.